न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास न्याय आपके द्वार अभियान कोर्ट केम्प खजूरी

निर्णय - 17/5/16

मि0न0 : 20 / 2016

रूकमणी पुत्री रामकिशन पत्नि सुरजमल माली नि. धाकडखेडी तह0 लाडपुरा।

— वादीनी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कनवास ।

— प्रतिवादीगण

दावा वास्ते धोषणा किये जाने इन्द्राज दुरस्त

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास, जिला कोटा

वादीनी द्वार एक वाद वास्ते धोषण किये जाने इन्द्राज दुरस्त प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीनी का पीहर ग्राम आमली तह0 कनवास मे स्थित है वर्तमान में वादीनी अपने ससुराल ग्राम धाकडखेडी तहसील लाडपुरा में अपने पति के साथ रह रही है। ग्राम खजूरणा पटवार हल्का खजूरणा तहसील कनवास मे खाता सं. 99 के ख.न. 85 की 0.01 है0 तथा ख. न. 86 की 0.78 है0 कुल किता 2 की 0.79 है0 कृषि भूमियां वादिनी के पिता व उनके भाइयों के शामलाती खाते की रही है।

वादीनी के पिता स्व0 रामकिशन जी का उक्त कृषि भूमियों में 1/5 हिस्सा निहित था जो उनकी मृत्यु दिनाक 13.6.97 को होने के बाद उनके वारिसान पुत्र जगन्नाथ रधुनाथ,धनपाल,रामपाल,बलराम,तथा पुत्रिया,राधा,राममूर्ति रामप्यारी व स्वंय वादिनी थी जिनके नाम उनके हिस्सें की कृषि भूमियो पर दर्ज हुआ। सहवन से वादीनी का नाम रूकमणी के बजाए छमकेली दर्ज कर दिया है। वादीनी के पिता के छमकेली नाम की कोई पुत्री नही है ।

ग्राम आंवा पटवार क्षैत्र आवा तहसील कनवास में खाता सं. 553 के ख.न. 47 की 0.39 है. तथा ख.न. 48 की 0.70 है.कुल किता 2 की 1.07 है. कृषि भूमिया भी वादीनी के पिता स्व0 रामकिशन जी व उसके भाईयों के संयुक्त खाते की थी जिसके 1/4 हिस्सा स्व. रामकिशन जी का था। वादीनी के पिता की मृत्यु के पश्चात उनके हिस्सें पर वारिसान की हैसियत से उनके वारिसान के साथ वादीनी का नाम भी दर्ज हुआ जिसमें वादीनी का नाम रूमकणी बाई दर्ज हुआ।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज0)

वाद पत्र की पद न. 3 में ... रूकमणी सही दर्ज हुआ है लेकिन ... मृत्यु के

अतः वाद पत्र की मद सं. 3 में वर्णित ग्राम खजूरणा के खाता सं. 553 की ख. न. 47 की 0.39 है.तथा ख.न. 48 की 0.70है. कुल किता 2 की 1.07 है.कृषि भूमियों की जमाबंदी में वादीनी का नाम छमकेली के बजाए रूकमणी दर्ज किये जाने की धोषणा की डिकी पारित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तलबी की गई । प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खजूरणा की जमाबंदी में वादनी का नाम रूकमणी किये जाने से कोई आपत्ति नही है। शुद्वि किये जाने मे कोई राजहित प्रभावित नही होते है।

प्रकरण न्याय आपके द्वार अभियान केम्प कोर्ट खजूरी में पेश हुआ । वाद में संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2069 ग्राम खजूरणा, जमाबंदी सम्वत् 2069 ग्राम आवां एव जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम ग्राम आवा की जमाबंदी में रूकमणी एवं ग्राम खजूरणा की जमाबंदी में छमकेली हो रहा है जवाब सरकार में भी वादीनी का नाम शुद्विकरण में कोई राजहित प्रभावित नही होना अंकित किया है। अतः दावा वादीनी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की मद सं. 3 में वर्णित ग्राम खजूरणा के खाता सं. 553 की ख.न. 47 की 0.39 एवं ख.न. 48 की 0.70 है.कुल किता 2 की 1.07 है. कृषि भूमियों की जमाबंदी में वादीनी का नाम छमकेली के बजाए रूकमणी दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्तानुसार डिकी मुर्तिब की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
कनवास, जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास, जिला कोटा (राज.)
कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

1. रूकमणी पुत्री रामकिशन पत्नि सुरजमल जाति माली निवासी धाकडखेडी तहसील लाडपुरा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा किये जाने इन्द्राज दुरस्त

मुकदमा नं. 20/16 सन 2016 तारीख फैसला 17.05.2016 न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी स्वंय मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी नं. 1 पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जारी की जाती है कि ग्राम खजूरना के खाता संख्या 553 की खसरा नंबर 47 की रकबा 0.39 है0, एवं खसरा नंबर 48 की 0.70 हे0, कुल किता 02 की 1.07 है0, कृषि भूमियों की जमाबंदी में वादीनी का नाम छमकेली के बजाए रूकमणी दर्ज किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में आमल दरामद किया जावे । तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31/08/2016 माह अगस्त 2016 को जारी की गई।

मोहर ....

(श्री कैलाश चंद गुर्जर)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	---NIL---		स्टाम्प वकालतनामा	....	---NIL---	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

(श्री कैलाश चंद गुर्जर)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा